राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं.(CIN) : U40109RJ2000SGC016485

पंजीकृत कार्यालयः "विद्युत भवन",जनपथ, जयपुर 302005

क्रमांक : राराविप्रनि/भर्ती (अनुकम्पा)/प. 53/प्रे. 408 जयपुर, दिनांक 24/11/2020

परिपत्र

विषयः– अनुकंपा नियुक्ति नियम 1996 के तहत नियुक्त मृतक आश्रित कर्मचारियों की ली जाने वाली टंकण परीक्षा के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 06.12.2019 के द्वारा दिनांक 31.12.2016 से पूर्व नियुक्त कार्मिकों की 30.06.2020 तक दो विशेष टंकण परीक्षायें आयोजित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में निगम के परिपत्र संख्या RVPN/Rectt./F.53/D.680 Dated 23.12.2019 द्वारा सभी विभागाध्यक्षों/संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया था कि दिनांक 31.12.2016 से पूर्व उनके कार्यालय में नियुक्त ऐसे मृतक आश्रित कर्मचारी जिनके द्वारा अभी तक टंकण परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है को उक्त दिये जा रहे 02 अवसरों (विशेष परीक्षा) के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर अवगत करायें जिससे कि सभी वंचित कर्मचारी उक्त टंकण परीक्षा में सम्मिलित हो सके।

कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र प.3(1) कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 23 अक्टूबर, 2020 के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि कोविड–19 से उत्पन्न विषम परिस्थितियों के मध्यनजर मृतक आश्रित कर्मचारियों की टंकण परीक्षा आयोजित नहीं होने के कारण यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 30.09.2020 तक आयोजित की जाने वाली मृतक आश्रित कर्मचारी की विशेष टंकण परीक्षा के आयोजन हेतु अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाया जाता है तथा जो कार्मिक उक्त अवधि तक आयोजित टंकण परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं, उन्हें भी एक और अवसर प्रदान करते हुए 31 मार्च, 2021 तक ली जाने वाली टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही समस्त जिला कलेक्टरों/विभागाध्यक्षों को यह भी निर्देशित किया गया है कि उक्त दिशा निर्देशानुसार टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने से शेष अनुकंपात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों की विशेष टंकण परीक्षायें अब हर हालत में 31 मार्च, 2021 से पूर्व करवाया जाना सुनिश्चित करें।

अतः इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों/संबंधित नियंत्रण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि जो कार्मिक 30.09.2020 तक आयोजित टंकण परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे हैं, को उक्त दिये जा रहे एक अतिरिक्त अवसर विशेष परीक्षा के संबंध में स्वयं के स्तर पर अवगत करायें, जिससे सभी वंचित कर्मचारी उक्त टंकण परीक्षा में सम्मिलित हो सके।

(श्याम सिंह)
सचिव (प्रशासन)

D:\DDrive Backup\WORK -2013\Letter Hindi 2020.docx

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. मुख्य अभियन्ता (   ), राराविप्रनिलि ————————————
2. मुख्य लेखा नियंत्रक, राराविप्रनिलि., जयपुर।
3. मुख्य कार्मिक अधिकारी, राराविप्रनिलि., जयपुर।
4. संयुक्त विधि परामर्शी, राराविप्रनिलि., जयपुर।
5. कम्पनी सचिव, राराविप्रनिलि., जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (   ), राराविप्रनिलि.,————————————
7. संयुक्त सचिव/उप सचिव (   ), राराविप्रनिलि., जयपुर।
8. उप निदेशक कार्मिक/कार्मिक अधिकारी (   ), राराविप्रनिलि., ————————
9. सहायक सचिव (   ), राराविप्रनिलि.,, जयपुर।
10. निजी सचिव (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक), राराविप्रनिलि., जयपुर।
11. निजी सहायक (निदेशक – वित्त), राराविप्रनिलि., जयपुर।
12. निजी सहायक (सचिव–प्रशासन), राराविप्रनिलि., जयपुर।
13. कार्यालय प्रति।

सचिव (प्रशासन)

Scanned with CamScanner